



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25238

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 481 वर्ष 2026

तिलिथू

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अम्बिकेश कुमार शर्मा, विमल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अपर स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव और प्रत्यर्थी-गांव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 333 सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण संख्या आईवी/2447/2018 (श्री राम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) को निर्धारित समय के भीतर तय करने हेतु परमादेश जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यू.पी.जेड.ए. एंड एल.आर. अधिनियम की धारा 123(1) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न उक्त पुनरीक्षण, जो निजी प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाते हुए दायर की गई है, 03.10.2018 से प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही का आदेश पत्र भी प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि मामला तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, कानून के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उक्त कार्यवाही को शीघ्रता से, अधिमानतः 2 महीने की अवधि के भीतर इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ।

5 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"